फर्द अहकाम

श्यामली देवी बनाम बाबूलाल व अन्य

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

72/2021

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी को बहस सुनी गई। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ोठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
र्थना पत्र : 72/2021
र्णय दिनांक : 30.01.2025

उनवान

श्रीमती ग्यारसी देवी बोदूराम मीणा निवासी ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीया

बनाम

बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल
श्यामलाल पुत्र ग्यारसीलाल
श्रवणलाल पुत्र ग्यारसीलाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 30.01.2025

वादीया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा न० 535 रकबा 0.23 है०, खसरा न० 536 रकबा 0.19 है०, खसरा न० 539 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 540 रकबा .23 है० कुल किता 4. कुल रकबा 0.89 है० वाके ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है। जिसमे वादिया का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिस पर वादिया अर्सेदराज से काबिज होकर कृषि काश्त करती आ रही है। जिसमे किसी प्रकार का विवाद नही है। वादिया के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात के चारो ओर पुख्ता मिटटी की डोल व तारबन्दी असे दराज से लगी हुयी है। जिस को वादिया अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रही है। वादिया की भूमि खसरा 536 के लगवा दक्षिण साईट में प्रतिवादीगण की आराजी भूमि खसरा न० 534 स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण वादिया की भूमि के दक्षिण साईड में असेंदराज से लगी मिटटी की डोल व तारबाउण्डरी को तोडकर उसमे अवैध रूप से निमार्ण करना चाहते है। जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 18/6/2021 को वादिया की भूमि के खसरा न० 536 के दक्षिण साईड में निमार्ण सामग्री डालकर वादिया की असेंदराज से लगी हुयी मिटटी की डोल व तारबन्दी को तोडकर निम खोदने की कोशिश की तब वादिया ने कहा की पहले आप उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाले उसके बाद निमार्ण करवा लेना। तथा उक्त डोल व तारबन्दी असेंदराज से लगी हुयी है इसको आप नही तोड सकते तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी की हम उक्त भूमि पर डोल व तारबन्दी को तोडकर निमार्ण कार्य करूगें। इस कारण वादिया को यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादिया गरीब व असहाय व अनुसुचित जन जाति की महिला है तथा अपनी भूमि की सुरक्षा करने का कानूनन अधिकार रखती है। अगर प्रतिवादीगण वादिया की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

र गैर कानूनी रूप से काबिज हो जाते है तो वादिया अपने हक हकुको की भूमि से महरूम हो ो, तथा दर दर की ठोकरे खाने को मजवुर होना पडेगा। साथ ही वादिया की उक्त आराजीयात मे ादीगण कोई हक व अधिकार नही रखते हैं। वादिया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध ने की अधिकारी है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा 536 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम श्रीराम की न तहसील सांगानेर के दक्षिण भाग में लगी मिटटी की डोल व तारबन्दी को तोडकर वादिया की भूमि केसी प्रकार से अवैध निमार्ण न स्वयं करे न किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। तथा वादिया भूमि का सीमाकंन कर उसी अनुसार सीमा निर्धारित की जावे। तथा वादिया के शान्ति पूर्ण उपयोग ोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वाद कारण दिनांक 18/6/2021 को तब शुरू हुआ प्रतिवादीगण ने वादिया की आराजी कृषि भूमि कि दक्षिण साईड की डोल व तारबन्दी को तोडने की शेश करने तथा निमार्ण सामग्री डालकर निमार्ण कार्य करना चाहा से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अतः वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा 536 रकबा 0.19 वाके ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर के दक्षिण भाग मे लगी मिटटी की डोल व तारबन्दी को डकर वादिया की भूमि पर किसी प्रकार से अवैध निमार्ण न स्वयं करे न किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से रवाये। तथा वादिया की भूमि का सीमाकंन कर उसी अनुसार सीमा निर्धारित की जावे। तथा वादीगण शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। वाद खर्च वादिया को प्रतिवादीगण दिलवाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादीया ुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वेरूद्ध 30.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा 536 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर के दक्षिण भाग मे लगी मिटटी की डोल व तारबन्दी को तोडकर वादिया की भूमि पर किसी प्रकार से अवैध निमार्ण न स्वयं करे न किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। तथा वादिया की भूमि का सीमाकंन कर उसी अनुसार सीमा निर्धारित की जावे। तथा वादीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा न० 535 रकबा 0.23 है०, खसरा न० 536 रकबा 0.19 है०, खसरा न० 539 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 540 रकबा 0.23 है० कुल किता 4. कुल रकबा 0.89 है० का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में दखल देने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम श्रीराम की नांगल ानेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा न० 536 रकबा 0.19 है० में प्रतिवादीगण षेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वो खसरा न० 536 रकबा 0.19 है०, के दक्षिण भाग में की डोल व तारबन्दी को ताडकर वादिया की भूमि पर किसी प्रकार से अवैध निर्माण न करे क़ब्जे काश्त मे उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करे । निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर